

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.01(15)खान/युप-1/2021

जयपुर, दिनांक 04 MAR 2022

आदेश


राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित खनि कार्यदेशक-प्रथम को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से सहायक खनि अभियंता (डिप्रीधारी) के पद पर चरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्त दिनांक
1.	श्री मनोज कुमार शर्मा	सामान्य	2014-15	01.04.2014

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी यथावत अपने कार्यस्थल पर पूर्व की भांति कार्यरत रहेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।


नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद (यदि कोई हो) के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से


(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव